न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील डिक्री टीए संख्या 11452/1999/जैसलमेर

1– लीलाधर पुत्र हिम्मताराम मृतक जरिये वारिसान
2– लक्ष्मण सिंह गहलोत पत्र ढलजी मसूरिया आजाद हिन्द मार्केट
3– श्रीमती सरस्वती दवी पत्नी लक्ष्मण सिंह
4– श्रीमती देवकी पत्नी लीलाधर जरिये वारिसान
5– कैलाश पुत्र लीलाधर एवं देवकी गांव ओला तहसील पोखरण जिला जैसलमेर।
6– सुरजीदेवी पत्नीश्री देवकिशन सुमाणी पुत्री स्व. देवकी निवासी बालाजी रोड मसूरिया जैलसमेर।
7– पप्पूदेवी पत्नी श्री दिनेश चाण्डक पुत्री स्व. श्री देवकी निवासी भील बस्ती नयाबास चांदपोल, जोधपुर।
8– सन्तोश कंवर पत्नी श्री राजुजी मेहरा पुत्री स्व. देवकी निवासी गांव मोहता पाण्डा तहसील व जिला जैसलमेर।
9– कुन्दनलाल पुत्र लीलाधर
10– मलकादेवी बेवा कुन्दनलाल
11– अनिल कुमार पुत्र कुन्दनलाल
12– अरूण पुत्र कुन्दनलाल
13– गोविन्दलाल पुत्र लीलाधर मृतक जरिये वारिसान
14– मानकंवर पत्नि गोविन्दलाल
15– लोकेश पुत्र गोविन्दलाल
16– आकाश पुत्र गोविन्दलाल
17– अल्का पुत्री गोविन्दलाल
18– रूपभारती पुत्र किशन भारती
19– स्वरूपसिंह पुत्र लख्मण सिंह निवासी जोधपुर

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– नखतूदान पुत्र देवीदान निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर।
2– हबदान पुत्र अलसीदान
3– दानकरण पुत्र अलसीदान
4– अमद देवी बेवा श्री अलसीदान
5– शाहकंवर बेवा कसूरदान चूनपुरा तहसील पचपदरा
6– सीता बेवा शिवदान सोमेश्वर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
7– धापू देवी बेवा शिवकरण पिंडोली तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
8– ढेलीदेवी जोजे अलसीदार निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर
9– समदकंवर जोजे हुकमचन्द चौपड़ तहसील शिव जिला बाड़मेर
10– चिमनदान पुत्र गुलाबदान के कायम कुमार
10/1 सूरदान पुत्र चिमनदान निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर
11– देवीदान पुत्र पन्नेदान निवासी आरंग तहसील शिव के कायम मुकाम

11/1. दुर्जनदान पुत्र देवीदान
11/2. हरकादान पुत्र देवीदान
11/3. रेवतदान पुत्र देवीदान
11/4. श्रीमती अकली पुत्री देवीदान पत्नि भूपदान निवासी ग्राम साकड जैसलमेर
11/5. श्रीमती जसकंवर पुत्री देवीदान पत्नि सूठान निवासी ग्राम चोचरा तहसील शिव जिला जैलसमेर
12- शक्तिदान पुत्र अलसीदान
13- शक्तिदान पुत्र पनेदान निवासी आरंग
14- लहूदान पुत्र अलसीदान
15- शाहकंवर पत्नि शक्तिदान निवासी साकूदहा
16- डगमकंवर पुत्री पनेदान पत्नि शक्तिदान निवासी चौपडऋ जिला बाड़मेर
17- परीदेवी पत्नि पनेदान निवासी आरंग तहसील शिव
18- कंवर राजदान पुत्र बालूदान
19- अमरदान पुत्र बालूदान के कायम मुकाम
19/1. कंवर राजदान पुत्र अमरदान
19/2. तंगदान पुत्र अमरदान
19/3. हिम्मतदान पुत्र. अमरदान
20- तहातदान पुत्र बालुदान
21- हिमतदान पुत्र बालुदान
22- अखलादेवी पुत्र बालुदान
23- गौरीदेवी पुत्री बालुदान निवासी आरंग तहसील शिव
24- पाबूदान पुत्र मंसुखदान निवासी आरंग के कायम मुकाम
24/1. मु. मीराकंवर बेवा पाबूदान
24/2. भूपदान पुत्र पाबूदान
24/3. सूरदान पुत्र पाबूदान
24/4. प्रभूदान पुत्र पाबूदान
24/5. धनदान पुत्र पाबूदान
24/6. मोहनदान पुत्र पाबूदान
24/7. गंगादान पुत्र पाबूदान
24/8. तेजदान पुत्र पाबूदान
25- भैरूदान पुत्र जगतदान
26- मलदान पुत्र जगतदान निवासी आरंग
27- सूरजादेवी पत्नि जगतदान निवासी आरंग
28- कुशालदान पुत्र दलदान निवासी आरंग
29- मकतारादेवी जोजे देवीदान के कायम मुकाम
29/1. नाथूदान पुत्र देवीदान
29/2. लखनदान पुत्र देवीदान
30- अंकलादेवी जोजे लखूदान निवासी रतकूडिया तहसील शिव
31- इन्द्रदान पुत्र बस्तीदान
32- सुगनीदेवी जोजे असुदान निवासी मियांडत तहसील शिव
33- मूलदान पुत्र चेनदान निवासी आरंग

34– जतन कंवर जोजे भगवानदान निवासी चौपड़ तहसील शिव
35– अंकलादेवी जोजे पीरदान निवासी भूराढाणी तहसील शिव
36– भैरूदान पुत्र जुगतदान
37– श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नि देवीदान
38– मूलदान पुत्र देवीदान
समस्त जाति चारण निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर
39– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील डिक्री टीए संख्या 12059/2003/बाड़मेर

1– नखतूदान पुत्र देवीदान निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर।

–बनाम–

1– लीलाधर पुत्र हिम्मताराम मृतक जरिये वारिसान
1/1. कैलाश पुत्र लीलाधर
1/2. कुन्दनलाल पुत्र लीलाधर
1/3. गोविन्दलाल पुत्र लीलाधर
1/4. श्रीमती सुरजादेवी पत्नि देवकिशन पुत्री लीलाधर
1/5. श्रीमती पप्पूदेवी पत्नि दिनेश पुत्री लीलाधर
1/6. संतोश कंवर पत्नि राजू पुत्री लीलाधर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोखरण जिला जैलसमेर।
3– हबदान पुत्र अलसीदान
4– दानकरण पुत्र अलसीदान
5– अमद देवी बेवा श्री अलसीदान
समस्त जाति चारण निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर।
6– शाहकंवर पत्नि केसूदान निवासी बाजुहड़ा तहसील परपदरा
7– उगमकंवर पुत्री पनेदान पत्नि शक्तिदान निवासी चौपडा तहसील शिव
8– परीदेवी पत्नि पनेदान (मृतक)
9– शाहकंवर बेवा केसूदान चारण निवासी धुन्धुरा तहसील पचपदरा।
10– सीता देवी बेवा शिवदान
11– श्रीमती धापूदेवी बेवा शिवकरण
12– डेली देवी जोजे अलसीदान
13– समदकंवर जोजे हुकमदान
14– सूरदान पुत्र चिमनदान
15– देवीदान पुत्र पन्नेदान मृतक जरिये वारिसान
15/1. दुर्जनदान पुत्र देवीदान
15/2. मदनदान पुत्र देवीदान
15/3. कैलाशदान पुत्र देवीदान
16– शक्तिदान पुत्र अलसीदान

17- शक्तिदान पुत्र पन्नेदान
18- लडडुदान पुत्र पन्नेदान
19- कंवर राजदान
20- तख्तदान
21- हिमतदान समस्त पिसरान बालूदान
22- अचलादेवी
23- गौरीदेवी
24- पाबूदान पुत्र मंसुखदान मृतक जरिये वारिसान
24/1. मीरा कंवर बेवा पाबूदान
24/2. भूरदान
24/3. सूरदान
24/4. प्रभूदान
24/5. धनदान
24/6. मोहनदान
24/7. गंगादान
24/8. तेजदान
25- भैरूदान पुत्र जगतदान
26- मलदान पुत्र जगतदान
27- सूरजादेवी पत्नि जगतदान
28- कुशालदान पुत्र दलदान
29- अंचलादेवी बेवा लखुदान
30- इन्द्रदान पुत्र बस्तीदान
31- सुगनी देवी जोजे आसूदान
32- मूलदान पुत्र चैनदान
33- जतनकंवर पत्नि भगवानदान
34- अंचला देवी जोजे पीरदान
35- चन्द्रादेवी पत्नि देवीदान
36- मूलदान पुत्र देवीदान
समस्त जाति चारण निवासी आरंग तहसील शिव जिला बाड़मेर

-रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री आर. डी. मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः-

(अपील संख्या 11452/1999)

1. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट्स (ब्रीफ होल्डर)
2. श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

(अपील संख्या 12059/2003)

1. श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स (ब्रीफ होल्डर)
3. श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

दिनांकः– 16.07.2024

1– अपीलांट्स ने यह दोनों अपीलें भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–02–1999 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2– दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु वैधानिक बिन्दु एक समान होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 366/1 रबा 43 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि के बाबत् अपीलांट् लीलाधर द्वारा एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व का काश्तकार रहा है तथा इसी अनुरूप जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के पूर्व से ही उनके द्वारा लगान आदि जमा करवाया जाता रहा है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोखरण द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से अपीलांट् लीलाधर को वादग्रस्त भूमि में से 200 एकड़ अथवा 500 बीघा भूमि का दोनों खसरों में से खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से समस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश से व्यथित होकर उक्त दोनों द्वितीय अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

4– अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील संख्या 11452/1999 में बतौर अपीलांट् व अपील संख्या 12059/2003 में बतौर रेस्पोडेन्ट दोनों अपीलों में समान बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम ओला तहसील पोखरण के खेत खसरा नम्बर 366/1 रबा 43 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. शिवदान चारण की जागीर की भूमि थी जिस पर लीलाधर राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से शिवदान चारण से काश्त पर लेकर उस पर काश्त करता रहा है तथा तत्कालीन जागीरदार शिवदान को बतौर लगान राशि 3/- रूपये अदा की जाती रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व ग्राम ओला रियासत जैसलमेर का भाग था तथा वहाँ कोई राजस्व रिकार्ड संधारित नही था। संवत् 2014 में प्रथम बार समरी सेट्लमेंट के तहत कार्यवाही करते हुए खसरा गिरदावरियाँ तैयार की गई थी, जिसमें स्व. शिवदान को जागीरदार होना एव लीलाधर एवं उसके परिवार की काश्त बताई गई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर लीलाधर एवं उसके परिवार का कब्जा वर्ष 1955 से पूर्व से रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा को ध्यान में रखते हुए लीलाधर द्वारा दिनांक 13-03-1956 को सेट्लमेंट विभाग जोधपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि के खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर तत्कालीन एएसओ द्वारा दिनांक 21-04-1956 को वादग्रस्त भूमि लीलाधर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। उक्त कार्यवाही के दरमिया नही रेस्पोडेन्ट नखतूदान के पिता देवीदान व अलसीदान वगैरा ने मिलीभगत करते हुए राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवा लिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट् लीलाधर द्वारा एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोखरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 09-03-1973 के माध्यम से लीलाधर को सम्पूर्ण रकबा 1090 बीघा 04 बिस्वा भूमि का खातेदार तो माना गया परन्तु सिलिंग सीमा 500 बीघा तक की खातेदारी लीलाधर को प्रदान की गई तथा बकाया भूमि को रकबाराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये।

6- विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी देवीदान के पुत्र नखतुदान द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील सात वर्ष उपरान्त पेश की गई, जिसे जरिये विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उक्त अपील जरिये विड्रावल खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर दोनों पक्षों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपीलें पेश किये जाने पर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया कि राज्य पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से समस्त भूमि को रकबाराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि पर लीलाधर का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त आशय की पुष्टि राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरियों से भी होती है तथा आराजी जैर के बाबत् लगान अदायगी के अनुसरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक को काबिज काश्त काश्तकार को अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान निहित किये जाने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से सिलिंग सीमा की हद तक

अर्थात 500 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की गई थी। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सम्पूर्ण भूमि को रकबाराज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है। इसी क्रम में उल्लेखनीय यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांट्/वादी लीलाधर को मात्र 500 बीघा भूमि का ही खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए सिलिंग सीमा के आधार पर शेष भूमि को रकबाराज करने के आदेश प्रदान किये गये है, जबकि ऐसा करन की शक्तियाँ अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किसी भी पक्षकार के विरूद्व सिलिग नियर्मों के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रावधान निहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांट्/वादी के कब्जे काश्त की भूमि को नियम विरूद्व एवं अधिकार क्षेत्र के विरूद्व जाकर सिलिंग सीमा से अधिक भूमि को रकबाराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण मे जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 का कथन कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त सेटलमेंट से पूर्व से ही चला आ रहा है, मिथ्या कथन है क्योंकि तमाम राजस्व रिकार्ड ये यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से लीलाधर का कब्जा काश्त रहा है तथा लीलाधर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त जरिये गवाहान भी साबित किया गया था। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नहीं है क्योंकि आराजी जैर पर उनका इन्द्राज मात्र गलत एवं त्रुटिवश अंकन के आधार पर होना जाहिर है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्ववर्ती इन्द्राज के विरूद्व किये गये नये इन्द्राजात् को कानून में कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि सेटलमेंट विभाग को पूर्ववर्ती इन्द्राज को दोहराने की शक्तियाँ की प्रदत्त की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्/वादी लीलाधर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक से निरन्तर रहा है तथा उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्/वादी का वादपत्र 500 बीघा की भूमि ही हद तक स्वीकार किया गया था। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलिंग सीमा के संबंध में जो अवधारणा व्यक्त की गई है, वह विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपीलांट्/वादी सम्पूर्ण भूमि के खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक होने से अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट्/वादी लीलाधर को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 288, एआईआर 1993 एससी पेज 1587, आरएलडब्ल्यू 1969 पेज 319, एआईआर 1967 पटना पेज 174, एआईआर 1996 राजस्थान पेज 27, आरआरडी 1990 एससी पेज 1, आरएलडब्ल्यू 1960 पेज 126, आरएलडब्ल्यू 1956 पेज 126, एआईआर 1975 एससी पेज 1863, आईएलआर 1960 राज0 पेज 94, आरएलडब्ल्यू

2002 राज. पेज 370, आरबीजे 2001 पेज 603 एससी, आरआरडी 1980 पेज 480, आरआरडी 1982 पेज 39-40, आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II राज. पेज 105-106 व अन्य न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7- विद्वान अभिभाषक द्वारा 11452/1999 में बतौर रेस्पोडेन्ट् व अपील संख्या 12059/2003 में बतौर अपीलांट् द्वारा दोनों अपीलों में एक समान बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नखतूदान एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ता 39 का नाम सेटलमेंट से पूर्व से की कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा उपरोक्त भूमि के तमाम राजस्व रिकार्ड में उसी अनुरूप बतौर खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर बिना तथ्यों की जाँच किये एवं बिना राजस्व रिकार्ड की जाँच किये ही लीलाधर पुत्र हिम्मताराम द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को विधि विरूद्व तरीके से डिक्री किये जाने से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रहा है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल रूप से विवाद वादी लीलाधर एवं प्रतिवादगण के मध्य रहा है तथा उसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश करते हुए चाराजोई किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि ग्राम ओला तहसील पोखरण के खेत खसरा नम्बर 366/1 रबा 43 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 500 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी लीलाधर को घोषित किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, उक्त अपील जरिये विड्रावल खारिज की गई, उक्त आदेश से व्यथित होकर दोनों पक्षों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर माननीय मण्डल द्वारा अपने आदेश के माध्यम से प्रकरण में राज्य पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये जाने के आधार पर प्रकरण को पुनः अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की वैधानिकता की जाँच करने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाना था, परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष द्वारा किये गये कथनों के अनुरूप समस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से प्रदान किये गये है। जबकि प्रकरण में अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा थी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लीलाधर को विधि सम्मत् तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है अथवा नहीं ? व इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन हुआ है अथवा नहीं ? प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वैधानिक बिन्दु से बाहर जाकर समस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाना स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगणों के अधिकारों का हनन की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नखतूदान एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ता 39 का नाम सेटलमेंट से पूर्व से की कब्जे काश्त की भूमि रही है, ऐसीस्थिति में सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर

वादी लीलाधर को 500 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 के अधिकारों को समाप्त किया गया है तथा कालान्तर में अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में पूर्व से ही प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 के पूर्वजों की खातेदारी भूमि रही है जिसे फौरी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि वादी लीलाधर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते समय कुछ प्रतिवादीगण फौत हो चुके थे, जिनके विधिक वारिसों को वादपत्र में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया वहीं दूसरी तरफ एक पक्षकार जोकि नाबालिग था, को पक्षकार बनाते हुए वादपत्र पेश किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामीली की सुनिश्चतता नहीं किये जाने के कारण मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है व दूसरी तरफ एक नाबालिग को पक्षकार बनाया गया है। उक्त आशय के संबंध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से ध्यान में तथ्य लाये जाने के उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधनों के विपरीत जाकर आक्षपित निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पूर्ववर्ती रूप से अपीलांट् नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

8– विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलीय न्यायालय राज्य पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा मण्डल के दिशा– निर्देशों के अनुसरण में राज्य पक्ष एवं उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त यह पाये जाने पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आराजी जैर के खातेदारी अधिकार वादी लीलाधर को प्रदत्त किये गये है, जबकि वादग्रस्त भूमि तमाम राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज रही है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में चूंकि दोनों ही पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार राजस्व दस्तावेजों एवं विधिक प्रावधानों से साबित नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को यथावत बहाल रखते हुए दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावे।

9– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

10– प्रस्तुत प्रकरण में वादी लीलाधर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोखरण के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम ओला तहसील पोखरण के खेत खसरा नम्बर 366/1 रबा 43 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत घोषणात्मक वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 200 एकड़ अर्थात 500 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी लीलाधर को घोषित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जोकि जरिये विड्रा खारिज की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश किये जाने पर मण्डल द्वारा प्रकरण को पुनः अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की राज्य पक्ष को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त समस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में मण्डल स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से अवधार्य बिन्दु यह है किः–

प्रथम अधीनस्थ सहायक कलेक्टर, पोखरण द्वारा वादी लीलाधर को कुल आराजी जैर 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 200 एकड़ अर्थात 500 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार विधि सम्मत् तरीके से घोषित किया गया है अथवा नहीं ?

द्वितीय क्या नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 पूर्ववर्ती रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करने के अधिकारी है अथवा नहीं ?

तृतीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के माध्यम से सम्पूर्ण भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश विधि सम्मत् तरीके से प्रदान किये गये है अथवा नहीं ?

11– हस्तगत् प्रकरण में वादी लीलाधर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की मांग का मुख्य आधार यह लिया गया है कि आराजी जैर ग्राम ओला के खेत खसरा नम्बर 366/1 रबा 43 बीघा 12 बिस्वा एवं खेत खसरा नम्बर 366/2 रकबा 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. शिवदान चारण की जागीर की भूमि थी, जिस पर वादी लीलाधर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से जागीरदार शिवदान से काश्त पर ले रखी थी तथा उसी के द्वारा लगान भी अदा किया जाता रहा है तथा इस संबंध में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत भी बतौर काश्तकार आराजी जैर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी

है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 जिसके तहत काश्तकारों को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान निहित किये गये है, का परिशीलन किया। प्रकरण में वादी लीलाधर के वादग्रस्त भूमि पर उत्पन्न अधिकारों के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जिसमें वादी लीलाधर का नाम दर्ज रिकार्ड है, यथा खसरा गिरदावरियों का अवलोकन किया गया, जोकि स्वयं वादी द्वारा अपन कथनों के संबंध में बतौर साक्ष्य पेश की गई है। वादी लीलाधर द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी संवत् 2019 में वादग्रस्त भूमि कॉलम संख्या 6 में उपभोक्ता डोलीदार एवं कॉलम संख्या 16 में विशेष विवरण मे वादी लीलाधर का नाम अंकित है तथा इसके उपरान्त की खसरा गिरदावरियों में आराजी जैर कॉलम संख्या 5 में राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी लीलाधर द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जिसके आधार पर आराजी जैर के अधिकारों की मांग की गई है, उक्त राजस्व रिकार्ड सर्वप्रथम संवत् 2019 का होना जाहिर होता है। प्रकरण में इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 जिसके तहत ऐसे काश्तकार जोकि अधिनियम के लागू होने की दिनांक को बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे है, को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान अभिलिखित किये गये है, जोकि निम्न प्रकार हैः-

Khatedar tenants – Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act vi of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on khatedar tenants by this Act:

प्रकरण में वादी लीलाधर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु उक्त अधिनियम के लागू होने की दिनांक अर्थात 15 अक्टूबर, 1955 यानि संवत् 2012 अथवा उससे पूर्व के कब्जे काश्त को राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से साबित करना था परन्तु वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत वादी लीलाधर

वादग्रस्त भूमि पर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक को बतौर काश्तकार अपने अधिकारों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर वादी लीलाधर को आराजी जैर में से 200 एकड़ अर्थात 500 बीघा भूमि का सिलिंग सीमा की हद तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय वादी की सिलिंग सीमा के निर्धारण का क्या आधार लिया गया है, तथा जैसलमेर जिलें में प्रति व्यक्ति सिलिंग सीमा तत्समय क्या रही है, आदि तथ्यों का खुलासा निर्णय में नहीं किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एव डिक्री में यह भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि वादी लीलाधर को कुल 1046 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से कौनसे खसरें में कितनी-कितनी भूमि का खातेदार माना जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं अपूर्ण आदेश होने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादी लीलाधर के अधिकारों की मांग को अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया गया है।

12- प्रकरण में निर्धारण योग्य द्वितीय बिन्दु कि क्या नखतूदान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 पूर्ववर्ती रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करने के अधिकारी है अथवा नहीं? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नखतूदान पुत्र देवीदानजी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधार यह लिये गये है कि वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा पर्चा लगान उनके नाम से जारी हुआ है तथा इसी अनुरूप अन्य आधार यह लिये गये है कि कई प्रतिवादीगण वादपत्र पेश होने से पूर्व ही फौत हो चुके थे, जिनके कायम मुकाम को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मूलदान पुत्र देवीदान दौराने वाद नाबालिग था। उपरोक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए आराजी जैर के पूर्ववर्ती रिकार्ड के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किये जाने की मांग की गई है। प्रकरण में नखतूदान द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2034-2037 सत्यप्रति की छाया प्रति पेश की गई है। इससे पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर अधिकारिता किस प्रकार से रही है, के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र एक सत्यप्रति की छाया प्रति के आधार नखतूदान पुत्र देवीदानजी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित करने में असफल रहने के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से अपील को खारिज किया गया है।

13- प्रकरण में अवधारण योग्य अन्य तृतीय बिन्दु कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के माध्यम से सम्पूर्ण भूमि को राजकीय

भूमि दर्ज करने के आदेश विधि सम्मत् तरीके से प्रदान किये गये है अथवा नहीं ? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड में बतौर डोलीदार अंकित रही है तथा कालान्तर में वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिकार दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में साबित नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश विधि सम्मत् तरीके से प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं होने से दोनों अपीलें अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

14- प्रकरण में जहाँ तक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांत मूलतः वादग्रस्त भूमि पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारों के संबंध में है। जबकि प्रकरण में वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों को अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक को प्राप्त करने के प्रश्न हो राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामलें में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत पूर्णतया चस्पा नहीं होते है।

अतः आदेश है कि- अपीलांट्स की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर-जैसलमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-02-1999 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर .डी. मीणा)
सदस्य